पत्र सं0– वि॰ प्रा॰(III) यो॰ – 54 / 2016–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– मधुबनी जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु मधुबनी जिलान्तर्गत पण्डौल में अवस्थित सहकारिता सूता मिल की कुल 7.50 एकड़ (सात एकड़ पचास डिसमिल) के आवंटन के लिए कुल रू॰ 3,58,58,000=00 (तीन करोड़ अंठावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक–542 / D, दिनांक 28.01.2019 के आलोक में मधुबनी जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु मधुबनी जिलान्तर्गत पण्डौल में अवस्थित सहकारिता सूता मिल की कुल 7.50 एकड़ (सात एकड़ पचास डिसमिल) के आवंटन के लिए कुल रू॰ 3,58,58,000=00 (तीन करोड़ अंठावन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकुत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष –105– इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष–0106– अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)'' के अधीन 53 02 भू–अर्जन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त॰), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होगें।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना स्थित प्रबंध निदेशक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के नाम से पी॰एल॰ खाता न॰ PLA 268 (K8448001200029) में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰ – 54 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰ – 54 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰ – 54 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना को उनके पत्रांक–542 / D, दिनांक 28.01.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰ – 54 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰(III) यो॰ – 54 / 2016– 400 / पटना, दिनांक– 31-1-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / संयुक्त निदेशक (वि॰) / उप निदेशक (यो) / उप निदेशक (त॰) / विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.1.19

सरकार के उप सचिव

30/01/19